नि0 5404/2018/रीवा/भू.रा0

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

1— बिहारीलाल तनय स्व0 रामलखन ब्रा0

2— सन्तराम तनय स्व0 रामलखन ब्रा0

3— गायत्री देवी पत्नी स्व0 श्री बसन्तलाल, सभी निवासी ग्राम दुबगंवा कुर्मियान, थाना व तहसील मऊगंज, जिला रीवा (म0प्र0)

————निगरानीकर्तागण

बनाम्

रमाशंकर तनय श्री रामाश्रय ब्रा0, उम्र 52 वर्ष, पेशा खेती व नौकरी, निवासी ग्राम दुबगंवा कुर्मियान, थाना व तहसील मऊगंज, जिला रीवा (म0प्र0)

————गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा (म0प्र0) के प्रकरण क0–970/अपील/06–07 पारित आदेश दिनांक 07/06/2018

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

आधार निगरानी निम्न है :–

1— यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि व प्रकिया के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2— यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का अवलोकन किये बिना ही परीक्षण न्यायालय के अभिलेख को देखे बिना मात्र मशीनी गति से प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के समस्त तथ्यों को हूबहू लेख किया जाकर आदेश पारित किया गया है, अपने न्यायिक

(114)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0/5404/2018 जिला– रीवा

बिहारीलाल वगै0 विरूद्ध रमाशंकर वगै0

(1)	(2)	(3)
18-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री अनिल तिवारी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~कमिश्नर~~/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 970/अपील/06-07 में पारित आदेश दिनांक 07-06-2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 05-09-2018 प्रस्तुत की गयी है। 2. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये। 3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो। सदस्य	